



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102025-266887
CG-DL-E-13102025-266887

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4491]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 9, 2025/आश्विन 17, 1947

No. 4491]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 2025/ASVINA 17, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 9 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4620(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें उक्त अधिसूचना कहा गया है), के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्यक्षेत्र के लिए संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
1.	श्री. सतीश चंद्र श्रीवास्तव, प्लॉट संख्या 823, सेक्टर-8सी, गांधीनगर-382007	-अध्यक्ष;
2.	श्री चारु दत्ता सिंह, फ्लैट संख्या सी/3, वेदांता कमल अपार्टमेंट, प्लॉट संख्या 111/9, किशनगढ़, अरुणा आसफ अली रोड, वसंतकुंज, नई दिल्ली 110070	-सदस्य;

3.	सदस्य सचिव (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)	-सदस्य सचिव।
----	---	--------------

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जो उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्राधिकरण इस अधिसूचना के पैराग्राफ 6 के अंतर्गत गठित संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों पर अपना निर्णय लेगा।

5. प्राधिकरण के सभी निर्णय एक बैठक में लिए जाएंगे और सर्वसम्मति से लिए जाएंगे:

परन्तु यदि कोई निर्णय बहुमत से लिया जाता है तो उसके पक्ष और विपक्ष में विचारों का ब्यौरा कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से अभिलेखित किया जाएगा और उसकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी।

6. केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्यक्षेत्र के परामर्श से, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्यक्षेत्र के लिए राज्यक्षेत्र स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
1.	श्री नित्यानंद श्रीवास्तव, प्लॉट संख्या 1149/2, सेक्टर-2डी, स्वामी नारायण मंदिर के पास गांधी नगर, गुजरात-382007	-अध्यक्ष;
2.	प्रोफेसर एन.सी गुप्ता, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय पर्यावरण प्रबंधन स्कूल, विश्वविद्यालय जीजीएस इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, सेक्टर 16 सी, द्वारका	-सदस्य;
3.	प्रोफेसर किरणमय सरमा इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय पर्यावरण प्रबंधन स्कूल, विश्वविद्यालय गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय द्वारका सेक्टर 16सी, नई दिल्ली 110078	-सदस्य;
4.	श्री रईस अली, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद फ्लैट संख्या 1, टाइप-IV, गोल्फ लिंक सदन, गोल्फ लिंक्स, नई दिल्ली	-सदस्य;
5.	प्रोफेसर चिराश्री घोष, पर्यावरण अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007	-सदस्य;

6.	प्रोफेसर प्रोद्युत भट्टाचार्य, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, पर्यावरण प्रबंधन स्कूल, विश्वविद्यालय, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, ब्लॉक ए, सेक्टर-16सी, द्वारका-नई दिल्ली-110078	-सदस्य,
7.	डॉ अरुण प्रताप सिकरवार, एसोसिएट प्रोफेसर विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली	-सदस्य;
8.	प्रोफेसर बालाराम पाणि कॉलेज डीन, दिल्ली विश्वविद्यालय	-सदस्य;
9.	डॉ. स्मिता सुंदरम असिस्टेंट प्रोफेसर, ज़ाकिर हुसैन दिल्ली (पर्यावरण) कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय	-सदस्य;
10.	वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता (पर्यावरण समाघात निर्धारण), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, चौथा और पांचवां तल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-06	-सदस्य सचिव।

7. समिति के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

8. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

10. हितों के टकराव से बचने के लिए,-

(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य तथा समितियों के अध्यक्ष और सदस्य,-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन से और परियोजना के प्रस्तावक से भी जुड़े हैं; और

(ख) किसी ऐसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के संबंध में कोई परामर्श या सहयोग नहीं देंगे, जिसका उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित किया जाना है या समिति द्वारा अंकन किया जाना है;

(ii) पिछले पांच वर्षों में यदि प्राधिकरण या समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण का अध्ययन किया है, तो उस स्थिति में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी परियोजना के अंकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण या समिति की बैठकों से स्वयं को अलग रखेंगे।

11. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगा और सचिवालय उक्त अधिसूचना के अधीन उनके कृत्यों के संबंध सभी वित्तीय तथा संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत में वास-सुविधा, परिवहन और अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगा।

12. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ते और मंहगाई भत्ते संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किए जाएंगे।

[फा. सं. जे-11013-62-2007-आईए. II(I)]

डॉ. अमनदीप गर्ग, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2025

S.O. 4620(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the Union territory Level Environment Impact Assessment Authority for the Union territory, National Capital Territory of Delhi (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely:—

(1)	(2)	(3)
1.	Sh. Satish Chandra Srivastav, Plot No.823, Sector-8C, Gandhinagar-382007	- Chairman;
2.	Sh. Charu Dutta Singh, Flat No. C/3, Vedanta Kamal Apartments, Plot no.111/9, Kishangarh, Aruna Asaf Ali Road, Vasantkunj, New Delhi -110070	- Member;
3.	Member Secretary (Delhi Pollution Control Committee)	-Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the Union territory Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6 of this notification.

5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Central Government.

6. The Central Government, in consultation with the Union territory, National Capital Territory of Delhi, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the Union territory Level Expert Appraisal Committee for Union territory of National Capital Territory of Delhi (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following Members, namely:—

(1)	(2)	(3)
1.	Sh. Nityanand Srivastava, Plot No.1149/2, Sector-2D, Near Swami Narayan Mandir Gandhi Nagar, Gujarat-382007	-Chairman;
2.	Professor N.C Gupta, Indraprastha University University School of Environment Management, GGS Indraprastha University, Sec 16 C, Dwarka	- Member;

3.	Professor Kiranmay Sarma Indraprastha University University School of Environment Management Guru Gobind Singh Indraprastha University Dwarka Sector 16C, New Delhi 110078	- Member;
4.	Sh. Rais Ali, New Delhi Municipal Council Flat No. 1 , Type-IV, Golf Link Sadan, Golf Links, New Delhi	- Member;
5.	Professor Chirashree Ghosh, Department of Environmental Studies, Delhi University, Delhi-110007	- Member;
6.	Professor Prodyut Bhattacharya, Indraprastha University University, School of Environment Management, Guru Gobind Singh Indraprastha University, Block A, Sector-16C, Dwarka-New Delhi-110078	- Member;
7.	Dr. Arun Pratap Sikarwar, Associate Professor Dept. of Education in Science & Mathematics, National Council of Educational Research and Training, New Delhi	- Member;
8.	Professor Balaram Pani Dean of Colleges, Delhi University	- Member;
9.	Dr. Smita Sundaram Assistant Professor, Zakir Hussain Delhi (Environment) College, Delhi University	- Member;
10.	Senior Environment Engineer (Environment Impact Assessment), Delhi Pollution Control Committee, 4th and 5th Floor, ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi-06	- Member Secretary.

7. The Chairman and Members of the Committee, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. In order to avoid any conflict of interest,-

(i) the Chairman and Members of the Authority and the Chairman and Member of the Committee shall,—

- declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents; and
- not undertake any consultation or associate with regard to preparation of environment impact assessment and environment management plan for a project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) if the Chairman or any Member of the Authority or the Committee has provided consultancy services or conducted environment impact assessment studies for any project proponent during the preceding five years, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority or the Committee in the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

11. The administration of Union territory of National Capital Territory of Delhi shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

12. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the Union territory administration.

[F. No. J-11013-62-2007-IA.II(I)]

Dr. AMANDEEP GARG, Addl. Secy.